

प्रस्ताव की राज्य क्र०सं०—.....

भाग - II

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)
(सम्बन्धित प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या)

क्र०सं०	प्रस्ताव	
7	परियोजना/स्कीम का स्थान	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग कि०मी० संख्या 355 के किनारे ग्राम-बघौड़ा, तहसील-मडिहान जिला-मीरजापुर के आराजी संख्या 495 में न्यू रिटेल आउटलेट का निर्माण किया जाना।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	मीरजापुर
(iii)	वन प्रभाग	मीरजापुर वन प्रभाग
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है० में)	0.0675 है०
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि (स्वामित्व लो०नि०वि०)
(vi)	हरियाली का घनत्व	शून्य
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर० एल०, एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किया जाय।	संलग्न है।
(viii)	भू-रक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता	यह भू-भाग भू-क्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	890 मीटर
(x)	क्या फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय)	नहीं

(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8	प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्योरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	अपरिहार्य एवं न्यूनतम।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं। अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवनत वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पास लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग (SH-5) के किमी० सं० 355, 356 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमिक वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं का दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	रोपित की जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ— कदम्ब, नीम, इमली
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	₹ 3,76,500.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।

11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 के पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	452200.000 है०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	104405.00 है०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र प्रभाग	24 मामले, 253.5167 है०
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	360.405 है०
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	268.395 है०
	(ख) वनेत्तर भूमि पर।	92.01 है०
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	75.00 है०
	(क) वन भूमि पर	40.00 है०
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	35.00 है०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव में उल्लिखित भूमि की मांग न्यूनतम है तथा रिटेल आउटलेट निर्माण से वन एवं वन्य जीवों के सम्बर्धन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 28.02.2015

स्थान : मीरजापुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मडिहान रेंज
मीरजापुर वन प्रभाग

हस्ताक्षर :
नाम :
सरकारी मोहर :

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

वन प्रभागीय वनाधिकारी
मुनार उप वन प्रभाग
मीरजापुर